राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 748वी बैठक दिनांक 22.09.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 748वी बैठक दिनांक 22.09.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9280/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेंड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	8897/2017	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9220/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	9268/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	6417/2019	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Close
6.	9223/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	6376/2019	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delist
8.	6534/2019	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delist
9.	9225/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delist
10.	9137/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delist
11.	8670/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
12.	9159/2022	1(a)	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	79/2008	1(a)	लाईमस्टोन खदान	माननीय एनजीटी के ओदश का परिपालन	
14.	9269/2022	1(a)	बॉक्साईट, लेटेराईट, ऑकर व व्हाईट अर्थ खदान	For ToR	Delisted

1. **प्रकरण क्र. 9280/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राजुल चौरसिया आत्मज श्री महेश चौरसिया, निवासी– मंदिर मस्जिद के पीछे आजाद वार्ड, हटा, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम–सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 व एम–सेण्ड 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 296, 297, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम टाटोन, तहसील बक्सवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर के पत्र कमांक 1544 दिनांक 08/07/22 द्वारा अनुमोदित डीएसआर में प्रस्तावित खदान को सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके सरल कमांक–01 प्रस्तावित खदान का विवरण दर्ज है। अतः **परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	800
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
ग्राम– गढ़ी सेमरा के ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	300
	योग	1200

टीप – उपरोक्त तालिका में दर्शित परिवहन मार्ग, ग्रामवासियों को वितरण एवं शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श उपरांत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम गढ़ी सेमरा एवं समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम– गढ़ी सेमरा के शासकीय हाई स्कूल में रंगाई पुताई व रिनोवेशन किया जाये एवं फर्नीचर (10 बेंच 8 कुर्सीया और 2 अलमारी) प्रदान की जाये। आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री राजुल चौरसिया आत्मज श्री महेश चौरसिया, निवासी, मंदिर मस्जिद के पीछे आजाद वार्ड, हटा, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम–सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 व एम–सेण्ड 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 296, 297, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम टाटोन, तहसील बक्सवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर का आदेश क 702 का पत्र दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.03.2032 तक मान्य रहेगी।

2. **प्रकरण क्र. 8897/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण त्यागी आत्मज श्री बब्बन त्यागी, निवासी मकान नं. 213, ई.डब्ल्यू.एस. नार्थ टी.टी. नगर, हूजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9060 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 588/1/1क, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम खौरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) भोपाल जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्ची सड़क की ओर तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	कटंग बांस, खमार, सिस्सू, अमलतास, खिरनी, इमली, नीम, कालासिरस, चिरोल, करंज, जगंल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	अमलतास, खिरनी, इमली, नीम, जामुन, कालासिरस, चिरोल, करंज, जगंल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
ग्रम खौरी के ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
	योग	2000

टीप – उपरोक्त तालिका में दर्शित परिवहन मार्ग, ग्रामवासियों को वितरण एवं शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श उपरांत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के शासकीय विद्यालय के लिए प्रिंटर के साथ कंप्यूटर डेस्कटॉप एवं 2 – 5 बिजली के पंखे, 10 नंबर ब्लैक बोर्ड, 4 पीसी कैरम बोर्ड (स्कूल की मांग के अनुसार) और स्टडी टूल प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक **श्री अरूण त्यागी आत्मज श्री बब्बन त्यागी**, निवासी मकान नं. **213**, ई.डब्ल्यू.एस. नार्थ टी.टी. नगर, हूजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता **9060** घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. **588/1/1क**, रकबा **2.0** हेक्टेयर, ग्राम

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

खौरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल का पत्र क 2046 का पत्र दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.07.2031 तक मान्य रहेगी।

3. **प्रकरण क्र. 9220/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन, प्रोप. श्री जितेन्द्र कुमार पटेरिया आत्मज श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेरिया, निवासी ग्राम बेरखेड़ी, पोस्ट साहवन, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 564, ग्राम बेरखेड़ी, तहसील बण्डा, जिला सागर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) सागर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी अद्यतन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, राजस्व अधिकारियों, खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक जलधारा से निर्मित गुली क्षेत्र का संरक्षण किया जायेगा, इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज आदि।	800
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	500
ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	800
ग्राम के विद्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–करंज, मोलश्री, पुत्रंजीवा, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, आदि।	220
ग्राम के प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल, करंज, आवला आदि।	80
	योग	2400

टीप – उपरोक्त तालिका में दर्शित परिवहन मार्ग, ग्रामवासियों को वितरण एवं शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श उपरांत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- बेरखेड़ी गांव के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई जाएँ।
- ग्राम बेरखेड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र में आवश्यकतानुसार महिला वाल विकास विभाग के परामर्श भोजन बनाने, खाने एवं रखने हेतु बर्तन एवं बच्चो के लिए खिलौने प्रदान किये जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन, प्रोप. श्री जितेन्द्र कुमार पटेरिया आत्मज श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेरिया, निवासी ग्राम बेरखेड़ी, पोस्ट साहवन, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 564, ग्राम बेरखेड़ी, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क 5613 का पत्र दिनांक 26.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.04.2032 तक मान्य रहेगी।

4. **प्रकरण क्र. 9268/2022 परियोजना प्रस्तावक सुश्री प्रगना नायक पत्नी श्री कवंलजीत नायक, निवासी ग्राम गडुली, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 1043, ग्राम मोरझरी, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) झाबुआ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अद्यतन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**1500**
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	सिस्सू, नीम, करंज, चिरौल, देसी आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	**200**
मोरझरी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, सीताफल मुनगा, जामुन, अमरूद इत्यादि।	1280
शासकीय विद्यालय मोरझरी में	कदंब, सीताफल अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि।	20
	योग	3000

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

टीप – उपरोक्त तालिका में दर्शित परिवहन मार्ग, ग्रामवासियों को वितरण एवं शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श उपरांत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम मोरझरी के ऑगनवाड़ी केन्द्र में आवश्यकतानुसार खाना बनाने, खाना परोसने एवं बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व 1 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक सुश्री प्रगना नायक पत्नी श्री कवंलजीत नायक, निवासी ग्राम गडुली, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 1043, ग्राम मोरझरी, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ का पत्र क 32 का पत्र दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.01.2032 तक मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 6417/2019 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रतिमा राजे राणा पिता स्व. श्री राणा प्रताप सिंह, निवासी सूर्याचल गढ़ी, ग्राम घुआरा, वी.पी.ओ. घुआरा, जिला छरतपुर (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 77,010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 18.21 हेक्टेयर, खसरा 1008, ग्राम – तिगोड़ा, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया कि **आवेदित लीजी (श्री राणा प्रताप सिंह) की मृत्यु दिनांक 07.09.2020 को हो चुकी है अतः उनके नाम से पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया। आवेदन**

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

विधिअनुसार नहीं है। अतः उनके विधिक वारिस श्रीमती प्रतिमा राजे द्वारा स्वयं के नाम से पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किया जाये एवं इस प्रकरण को Close किया जाये। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित करने हेतु कार्यवाही निर्णित की गई।

6. **प्रकरण क्र. 9223/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जिराती मुरूम सप्लायर्स, पार्टनर श्री सुभाष जिराती व श्री सादिक खान, निवासी ग्राम चंदावड़, तहसील धमरपूरी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 129/1, पैकी ग्राम चंदावड़, तहसील धमरपूरी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रेत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में तीन लाइनो में किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	500
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1400
		Total	**2400**

टीप – उपरोक्त तालिका में दर्शित परिवहन मार्ग, ग्रामवासियों को वितरण एवं शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श उपरांत किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- चन्दवाड गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे। तथा स्वास्थय केंद्र में अधिकारी से परामर्श करके चिकित्सीय उपकरण दिया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जिराती मुरूम सप्लायर्स, पार्टनर श्री सुभाष जिराती व श्री सादिक खान, निवासी ग्राम चंदावड़, तहसील धमरपूरी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 129/1, पैकी ग्राम चंदावड़, तहसील धमरपूरी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क 325 का पत्र दिनांक 01.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्घातिंक सहमति प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.02.2032 तक मान्य रहेगी।

7. **प्रकरण क्र. 6376/2019 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जुजावल मार्बल, पार्टनर मो. अब्बास, निवासी 907/1, बाडी ओमती, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 5246 व सेलेबल वेस्ट मटेरियल 28480 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9. 818 हेक्टेयर, खसरा 2700, 2702, 2703/1, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2711/1,2, 2714/1,2,3, 2715/1,3 2716/1, 2664/2, ग्राम – छिल्पा, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र क्र. 1679 दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सैद्धान्तिक सूचना पत्र में उल्लेखित शर्तों का नियमानुसार समय–सीमा में पालन नहीं किया जा रहा

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

है एवं प्रकरण जिला स्तर पर जॉच की प्रक्रिया में है। अतः पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया को लंबित रखा जाना सूचित किया गया है।

अतः प्रकरण को **Delist** किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. **6534/2019** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जबलपुर इस्पात प्रा.लि. पार्टनर मो. अब्बास निवासी 907/1, बाडी ओमती, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि),उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 3290 व सेलेबल वेस्ट मटेरियल 23043 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.350 हेक्टेयर, खसरा 2678, 2679, 2680, 2683/2 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2722/1, 2722/2, ग्राम – छिल्पा, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र क्र. 1080 दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सैद्धान्तिक सूचना पत्र में उल्लेखित शर्तों का नियमानुसार समय–सीमा में पालन नहीं किया जा रहा है एवं प्रकरण जिला स्तर पर जॉच की प्रक्रिया में है। अतः पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया को लंबित रखा जाना सूचित किया गया है।

अतः प्रकरण को **Delist** किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. **9225/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश पाटीदार आत्मज श्री कन्हैयालाल पाटीदार निवासी 697, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.)–453441, द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.028 हेक्टेयर, खसरा 1304/1,1304/2, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित 03 खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक आकलित हो रहा है। यद्धपि जिला खनिज अधिकारी द्वारा

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

एकल प्रमाण पत्र में 02 खदाने स्वीकृत होना बताया है जिनका कुल रकबा 3.552 हेक्टेयर उल्लेखित है। अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर इन्दौर को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित समस्त खदानों की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाये। जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को डिलिस्ट निर्णित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 9137/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री शिवनारायण मालवीय आत्मज श्री रूखडुसा मालवीय, निवासी ग्राम लोगसरी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 196/1, 198, 197, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम उण्डली, तहसील कुक्षी ,जिला धार (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित 03 खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक आकलित हो रहा है। यद्धपि जिला खनिज अधिकारी द्वारा एकल प्रमाण पत्र में 02 खदाने स्वीकृत होना बताया है जिनका कुल रकबा 3.50 हेक्टेयर उल्लेखित है। अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर धार को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित एवं परिधि से लगी हुई अन्य समस्त खदानों की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाये। जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को डिलिस्ट निर्णित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को यह भी सूचित किया जाये कि **SEAC** द्वारा अनुशंसित 20 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपरांत स्थल के अक्षांश देशांश सहित छायाचित्र प्रस्तुत किये जायें।

11. प्रकरण क्र. 8670/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महादेव स्टोन क्रेशर इन्ड्रस्ट्रियल, पार्टनर, श्री अभय सिंह, निवासी 201, तानसेन नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23,726 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.332 हेक्टेयर, खसरा 05, ग्राम चिरपुरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित खदान के कलस्टर में 16 खदानें परिलक्षित है अतः कलस्टर के पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रावधान

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

एवं उपायों का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना को प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. 9159/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स विजय एंड कंपनी, पार्टनर, श्री अंशुमन राय, निवासी राय भवन, कटनी रोड़, पी.ओ, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85,500 टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.610 हेक्टेयर, खसरा 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1, ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 593वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से उत्तर दिशा में स्थित **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से कच्ची सड़क से **न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) सतना जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रेात की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन एवं स्थल की उपलब्धता के दृष्टिगत पौधा रोपण सुनिश्चित किया जाये	सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, पीपल, सेमल, जंगल जलेबी, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	1200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, देसी आम, करंज,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं,	400
3	तमोरिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, आम, मुनगा इत्यादि।	2700
4.	शासकीय विद्यालय तमोरिया में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि।	40
		कुल वृक्षारोपण	4340

टीप – उपरोक्त तालिका में दर्शित बैरियर जोन, परिवहन मार्ग, ग्रामवासियों को वितरण एवं शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श उपरांत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम तमोरिया के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन एवं 1 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाये।
- ग्राम तमोरिया के ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये एवं दवाये उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स विजय एंड कंपनी, पार्टनर, श्री अंशुमन राय, निवासी राय भवन, कटनी रोड़, पी.ओ, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85,500 टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.610 हेक्टेयर, खसरा 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1, ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना का पत्र क 2530 का पत्र दिनांक 25.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.09.2031 तक मान्य रहेगी।

13. **प्रकरण क्र. 79/2008** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सी.सी. लि. कैमोर सीमेंट वर्क्स, पो.आ. कैमोर, जिला कटनी (म.प्र) द्वारा बदरी लाईम स्टोन माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 81, 86, रकबा 5.82 हेक्टेयर, ग्राम बडारी, विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत।

संदर्भः प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) के अपील नं. 09/2022 में पारित आदेश की परिपालन कार्यवाही बावत्।

<u>प्रकरण का क्रमवार विवरण :-</u>

- उपरोक्तानुसार प्रकरण में SEIAA द्वारा मेसर्स श्री एस.एन संडरसन एंड कंपनी को दिनांक 25.03.2009 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई।
- मेसर्स ए.सी.सी. लि. द्वारा दिनांक 08.01.2018 को उपरोक्त जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया, जिसका हस्तांतरण MPSEIAA द्वारा दिनांक 23.02.2018 को किया गया।
- MOEF&CC के पत्र दिनांक 14.06.2019 द्वारा जानकारी दी गई, कि प्रकरण में Air & Water Consent मेसर्स श्री एस.एन सुंदरसन एंड कंपनी के नाम पर है, परंतु खनन कार्य मेसर्स ए.सी.सी. लि. के द्वारा वर्ष 2009 से 23.02.2018 तक बिना वैध पर्यावरणीय स्वीकृति के किया गया एवं उक्त के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस हेतु MPSEIAA द्वारा परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सीं.सी. लि. को 10 दिवस में स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र दिनांक 02.07.2019 द्वारा भेजा गया।
- माननीय अधिकरण में दायर अपीलानुसार मेसर्स ए.सी.सी. लि. द्वारा खनन कार्य दिनांक 31.12.2014 से प्रारंभ किया गया। अतः पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवधि (जून 2015 से जून 2018) का छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया, जो MoEF&CC की अधिसूचना दिनांक 28.02.2014 का उल्लंघन है।

  अतः इस हेतु MPSEIAA द्वारा परियोजना प्रस्तावक से प्राधिकरण की 645वीं बैठक दिनांक 27.11.2020 द्वारा 15 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा MPSEIAA की 680वीं बैठक दिनांक 03.08.2021 में स्पष्टीकरण दिया गया। प्राधिकरण द्वारा बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण ई.आई.ए. अधिसूचना अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन का है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत मेसर्स ए.सी.सी. लि. को हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को दिनांक 16.08.2021 को स्थगन में रखा गया, तदुपरांत **SEIAA** की 693वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति, पत्र दिनांक 19.12.2021 द्वारा **Revoke** कर दी गई।

- उक्त प्रकरण में मेसर्स ए.सी.सी. लि. द्वारा माननीय अधिकरण में अपील दर्ज की गई। प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) के अपील नं. 09/2022 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) की विभिन्न आदेशों के उपरांत जारी अंतिम आदेश दिनांक 08.09.2022 द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया एवं तदुपरांत अपील निराकृत कर दी गई। **(परिशिष्ट–5)**

"........In view of the above discussion, we are of the view that extreme penalty of revocation of EC for allegation of non submission of half yearly report for a past period is highly disproportionate, harsh, unfair, unjust and arbitrary and deserves to be quashed and accordingly the impugned dated 19.12.2021 is set aside. The respondents/collector/state PCB shall take a reasoned decision in accordance with law within a reasonable time on point of penalty to be paid by the appellant. Pending decisions, the operation of the unit of the appellant in respect of which consents have been granted with grant of EC, shall not be interfered with, and the appellant will be allowed to operate the unit. The appeal is allowed to that extent....."

The appeal is disposed of accordingly.

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**CZ**) के उपरोक्त आदेशानुसार प्रकरण हेतु **MP SEIAA** की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा निम्नानुसार विधिक परामर्श दिया गया **(परिशिष्ट–6)**

"......In our opinion in the aforementioned matter, because the Hon'ble Tribunal has set aside the Revocation Order against ACC Ltd., MPSIEAA shall withdraw Revocation Order dated 19.12.2021 in writing to the Appellant and the Respondents within the confines of law shall determine the Environment Compensation to be imposed on ACC Ltd. for violation of the underlying EC Terms & Conditions of EC dated 23.02.2018....".

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**CZ**) के द्वारा अपील प्रकरण क्र. 09/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2022 के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत डद्दैम्।। में पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 79/2008 के संबंध में प्रकरण में निम्नानुसार परिपालन कार्यवाही निर्णित की गई **:-**

1. प्रकरण हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक **25.03.2009** एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित पत्र दिनांक **23.02.2018** हेतु जारी **Revoke** पत्र क्र. **2654** दिनांक **19.12.2021** को निरस्त किया जाता है, तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के में निहित समस्त शर्तों यथावत रहेंगी एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक एवं समस्त संबंधितों को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।

2. माननीय एनजीटी द्वारा आदेशित कार्यवाही के परिपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, **MoEF&CC** भोपाल को आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक (**M/s ACC Pvt. Ltd**) द्वारा वर्ष 2009 से 2018 तक बिना पर्यावरण स्वीकृति के किये गये उत्खन्न कार्यों से हुई पर्यावरण क्षति का आकलन करवाया जाये।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण दिनांक 23.02.2018 के उपरांत प्रस्तुत छमाही अनुपालन प्रतिवेदनों के आधार पर किये गये कार्यो का स्थल निरीक्षण करवाए जाने एवं यदि पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों का उलंघन किया गया है तो पर्यावरणीय क्षति का आंकलन कर **SEIAA** कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, **MoEF&CC** भोपाल को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. 9269/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाईस कंपनी, वार्ड नं. 8, पी.ओ. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बॉक्साईट, लेटेराईट, ऑकर व वाईट अर्थ खदान, उत्पादन क्षमता बॉक्साईट 35273, लेटेराईट 4294, ऑकर 5040, मिनरल रिजेक्ट 9370, ओवरबर्डन 4410 टन प्रतिवर्ष, रकबा 15.78 हेक्टेयर, खसरा 43 भाग, ग्राम कुम्हरा जुडवानी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा 741वी बैठक दिनांक 17.08. 2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर मानब बसाहट एवं सड़क परिलक्षित हो रही है। प्रस्तावित खदान क्षेत्र में एवं आसपास मानव बसाहट पर खनन कार्य के दौरान प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत कलेक्टर रीवा से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि खदान क्षेत्र के अंदर स्थित मानब बसाहट को शिफ्ट किया जायेगा अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये कि प्रस्तावित R & R योजना पर जिला प्रशासन की क्या सहमति प्राप्त की है इस हेतु 10 दिवस में सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है अतः प्रकरण को **Delist** करते हुए कलेक्टर, जिला रीवा को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष